(क) क्या यह सच है कि बच्चों के प्रति अपराध में दिन-प्रति-दिन वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय निगरानी आयोग, जिसे बच्चों के प्रति अपराध की निगरानी करनी होती है, सक्रिय नहीं है;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रत्येक पुलिस थाने में एक किशोर पुलिस इकाई होनी चाहिए, जिसका अभी भी पालन नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो भाग (ख) और भाग (ग) को कार्यान्वित करने के लिए सरकार क्या प्रभावी कदम उठा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री जितेन्द्र सिंह)**

**(क) से (घ) : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार दिल्ली में 2008-2010 के दौरान बच्चों के अपराध के क्रमश: 22500, 24201 तथा 26694 मामले सूचित किए थे। वर्ष 2008-2010 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में रिपोर्ट किए गए मामलों, आरोप पत्रित मामलों, दोषसिद्ध मामलों, आरोपित तथा दोषसिद्ध अभियुक्तों के राज्य/संघराज्य क्षेत्रवार आंकड़े अनुलग्नक में संलग्न है।**

 **किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के प्रति अपराध की मॉनिटरिंग के लिए केन्द्रीय मनिटरिंग आयोग का कोई प्रावधान नहीं है।**

 **देश के सभी जिलों में विशेष किशोर पुलिस इकाइयां स्थापित कर दी गई हैं। किशोर न्याय (बच्चों की सुरक्षा एवं परवरिश) अधिनियम, 2000 के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग के विषय में, सम्पूर्ण बेहुरा बनाम भारत सरकार एवं अन्य, दिनांक 12 अक्टूबर 2011 के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्रों को एक परामर्शी-पत्र जारी किया है जिसमें उन्हें सुझाव दिया गया है कि वह उचित दृष्टिकोण, प्रशिक्षण एवं सूझ-बूझ वाले कम से कम एक ऐसे अधिकारी को किशोर अथवा बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त करें जो यथाशीघ्र राज्य के प्रत्येक पुलिस थाने में पुलिस के साथ समन्वय कर किशोर अथवा बालक के मामलों को देखेगा।**

|  |
| --- |
| **वर्ष 2008-2010 के दौरान \*बच्चों के प्रति किए गए *कुल अपराध के संबंध में दर्ज मामले(सीआर),आरोपपत्रित मामले,(सीएस),दोषसिद्ध मामले(सीवी),गिरफ्तार व्यक्ति(पीएआर),आरोप-पत्रित व्यक्ति(पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति(पीसीवी)*** |
|  |  | **2008** | **2009** | **2010** |
| क्र  | राज्य | सीआर | सीएस | सीवी | पीएआर | पीसीएस | पीसीवी | सीआर | सीएस | सीवी | पीएआर | पीसीएस | पीसीवी | सीआर | सीएस | सीवी | पीएआर | पीसीएस | पीसीवी |
| 1 | **आन्ध्र प्रदेश** | 1321 | 1137 | 127 | 1661 | 1726 | 178 | 1719 | 1267 | 121 | 2065 | 1789 | 195 | 1823 | 1599 | 155 | 2046 | 2154 | 205 |
| 2 | **अरुणाचल प्रदेश** | 24 | 18 | 0 | 20 | 18 | 0 | 33 | 29 | 0 | 27 | 29 | 0 | 20 | 26 | 0 | 21 | 20 | 0 |
| 3 | **असम** | 183 | 93 | 18 | 112 | 109 | 15 | 44 | 77 | 12 | 48 | 70 | 7 | 197 | 82 | 7 | 132 | 51 | 9 |
| 4 | **बिहार** | 766 | 561 | 26 | 1363 | 1086 | 36 | 1016 | 598 | 18 | 1468 | 1170 | 45 | 1843 | 900 | 35 | 2414 | 1718 | 48 |
| 5 | **छत्तीसगढ़** | 1167 | 1099 | 278 | 1271 | 1266 | 305 | 1319 | 1273 | 251 | 1497 | 1498 | 283 | 1463 | 1378 | 332 | 1668 | 1648 | 303 |
| 6 | **गोवा** | 80 | 53 | 11 | 104 | 61 | 18 | 92 | 63 | 15 | 123 | 111 | 15 | 79 | 80 | 9 | 80 | 119 | 11 |
| 7 | **गुजरात** | 1074 | 788 | 60 | 1197 | 1210 | 141 | 968 | 677 | 42 | 980 | 995 | 138 | 1006 | 691 | 26 | 1058 | 994 | 51 |
| 8 | **हरियाणा** | 269 | 227 | 58 | 325 | 334 | 81 | 353 | 235 | 70 | 317 | 318 | 122 | 303 | 228 | 67 | 274 | 274 | 90 |
| 9 | **हिमाचल प्रदेश** | 205 | 130 | 23 | 189 | 165 | 29 | 221 | 182 | 31 | 232 | 202 | 37 | 246 | 175 | 10 | 269 | 269 | 17 |
| 10 | **जम्मू और कश्मीर** | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 18 | 8 | 2 | 8 | 8 | 2 | 17 | 12 | 1 | 17 | 17 | 1 |
| 11 | **झारखंड** | 71 | 57 | 5 | 141 | 98 | 5 | 60 | 51 | 20 | 149 | 108 | 47 | 54 | 53 | 3 | 44 | 74 | 3 |
| 12 | **कर्नाटक** | 388 | 235 | 18 | 324 | 285 | 13 | 308 | 260 | 10 | 315 | 315 | 6 | 409 | 275 | 23 | 389 | 358 | 20 |
| 13 | **केरल** | 549 | 441 | 29 | 666 | 725 | 33 | 587 | 513 | 44 | 698 | 658 | 51 | 596 | 689 | 54 | 698 | 838 | 57 |
| 14 | **मध्य प्रदेश** | 4259 | 4035 | 1073 | 5620 | 5574 | 1866 | 4646 | 4315 | 1100 | 5838 | 5813 | 1477 | 4912 | 4632 | 1384 | 5846 | 5788 | 1803 |
| 15 | **महाराष्ट्र** | 2709 | 2033 | 89 | 3082 | 2937 | 110 | 2894 | 2280 | 119 | 3086 | 2950 | 162 | 3264 | 2390 | 92 | 3759 | 3456 | 130 |
| 16 | **मणिपुर** | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 72 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 73 | 1 | 0 | 39 | 1 | 0 |
| 17 | **मेघालय** | 62 | 40 | 0 | 53 | 48 | 0 | 83 | 40 | 0 | 66 | 42 | 0 | 110 | 51 | 3 | 77 | 56 | 2 |
| 18 | **मिजोरम** | 22 | 23 | 1 | 21 | 22 | 1 | 14 | 12 | 2 | 15 | 13 | 1 | 50 | 46 | 22 | 50 | 46 | 32 |
| 19 | **नागालैंड** | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 5 | 10 | 7 | 5 |
| 20 | **उड़ीसा** | 141 | 134 | 20 | 199 | 200 | 20 | 194 | 164 | 4 | 200 | 197 | 4 | 194 | 174 | 12 | 218 | 220 | 14 |
| 21 | **पंजाब** | 389 | 243 | 67 | 385 | 328 | 88 | 729 | 368 | 102 | 891 | 547 | 132 | 627 | 376 | 112 | 700 | 580 | 158 |
| 22 | **राजस्थान** | 1223 | 643 | 91 | 732 | 723 | 98 | 1407 | 719 | 125 | 899 | 901 | 122 | 1318 | 542 | 103 | 749 | 741 | 173 |
| 23 | **सिक्किम** | 24 | 19 | 5 | 14 | 26 | 6 | 40 | 29 | 8 | 33 | 31 | 8 | 29 | 56 | 0 | 34 | 66 | 0 |
| 24 | **तमिलनाडु** | 666 | 439 | 115 | 566 | 537 | 136 | 634 | 501 | 58 | 659 | 595 | 64 | 810 | 512 | 116 | 703 | 613 | 129 |
| 25 | **त्रिपुरा** | 163 | 117 | 21 | 160 | 116 | 11 | 163 | 106 | 18 | 100 | 68 | 8 | 227 | 172 | 21 | 216 | 191 | 20 |
| 26 | **उत्तर प्रदेश** | 4078 | 2585 | 1325 | 5760 | 4113 | 2339 | 3085 | 2224 | 1278 | 4736 | 3876 | 2216 | 2332 | 1808 | 1456 | 3662 | 3090 | 2491 |
| 27 | **उत्तराखंड** | 38 | 39 | 32 | 58 | 76 | 62 | 33 | 25 | 21 | 36 | 43 | 57 | 31 | 32 | 26 | 45 | 45 | 58 |
| 28 | **पश्चिम बंगाल** | 513 | 322 | 13 | 453 | 389 | 22 | 484 | 225 | 10 | 375 | 277 | 14 | 880 | 499 | 44 | 1009 | 542 | 51 |
|  | **कुल राज्य** | **20486** | **15522** | **3510** | **24498** | **22183** | **5618** | **21216** | **16243** | **3481** | **24901** | **22625** | **5213** | **22923** | **17486** | **4118** | **26227** | **23976** | **5881** |
| 29 | **अं.औरनि. द्वीपसमूह** | 47 | 30 | 0 | 52 | 40 | 0 | 41 | 29 | 6 | 63 | 49 | 7 | 51 | 38 | 0 | 61 | 38 | 0 |
| 30 | **चंडीगढ़** | 66 | 20 | 13 | 59 | 29 | 17 | 71 | 36 | 19 | 64 | 44 | 27 | 59 | 60 | 13 | 66 | 73 | 15 |
| 31 | **दादरा और नगर हवेली** | 17 | 13 | 1 | 25 | 17 | 1 | 11 | 11 | 3 | 15 | 21 | 4 | 13 | 7 | 2 | 12 | 8 | 2 |
| 32 | **दमण और द्वीव** | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 33 | **दिल्ली संघ शासित** | 1854 | 899 | 206 | 1097 | 1012 | 320 | 2839 | 905 | 203 | 985 | 1178 | 212 | 3630 | 815 | 198 | 1020 | 1163 | 308 |
| 34 | **लक्षद्वीप** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | **पुडुचेरी** | 26 | 12 | 2 | 25 | 13 | 2 | 21 | 26 | 3 | 20 | 29 | 6 | 16 | 12 | 2 | 22 | 23 | 2 |
|  | **कुल संघ शासित** | **2014** | **976** | **222** | **1268** | **1116** | **340** | **2985** | **1008** | **234** | **1148** | **1322** | **256** | **3771** | **934** | **216** | **1185** | **1309** | **329** |
|  | **कुल अखिल भारत** | ***22500*** | ***16498*** | ***3732*** | ***25766*** | ***23299*** | ***5958*** | ***24201*** | ***17251*** | ***3715*** | ***26049*** | ***23947*** | ***5469*** | ***26694*** | ***18420*** | ***4334*** | ***27412*** | ***25285*** | ***6210*** |
|  | \* बच्चों के प्रति कारित कुल अपराधों में ये अपराध शीर्ष सम्मिलित हैं: बाल हत्या, हत्या, बलात्कार, अपहरण एवं व्यपहरण, आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, बच्चों का परित्याग अथवा प्रदर्शन, नाबालिग बच्चियों की खरीद, वेश्वावृत्ति के लिए लड़कियों की खरीद, वेश्वावृत्ति के लिए लड़कियों को बेचना तथा बच्चों के प्रति अन्य अपराध |
|  | *स्रोत: भारत में अपराध* | *नोट:- पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।*  |  |  |